गतांक की चीर-फ़ाड़

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मोदी ने दिया किसानों को 'बढ़ी' एमएसपी का झुनझुना

मज़दूर मोर्चा के 15-21 जुलाई 2018अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक आदि मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। पहले हर कस्बे में चारों ओर तालाब व जोहड़ बने होते थे जो मनुष्यों व पशुओं के लिये पानी उपलब्ध कराते थे तथा कूओं का भूजल स्तर बरकरार रहता था। परंतु आधुनिक युग में विकास के नाम पर तलाबों व जोहड़ों को उजाड़ दिया गया तथा भूजल स्तर रिचार्य करने के लिये रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाये जाने लगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आगामी चुनावों के मद्देनज़र फ़रीदाबाद में 1000 रेन हार्वेस्टिंग लगाने का आदेश दिया जबकि पहले के लगे 190 बेकार पड़े हैं। इसका 'मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा एक हज़ार रेन हार्वेस्टिंग लगाओ-छ:साल पहले के एक सौ नब्बे बेकार पड़े हैं' में खुलासा किया गया है। ये 190 बेकार क्यों हुये, इसका कारण ढूंढने की किसी ने भी जहमत नहीं उठाई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी किसान रैलियों में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के नाम पर किसानों को फ़सल की लागत का डेढ गुणा दाम देने के निर्णय की घोषणा करके अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं जबकि वास्तव में मंडी में किसानों को फ़सल का भाव पुराने भाव से भी कम मिल रहा है, जिसकी 'मलोट में कृषि समर्थन मूल्य का मोदी ड्रामा स्वामीनाथन की जगह मोदीनाथन डोज नाकाफ़ी' में समीक्षा की गई है।

वैज्ञानिकों के शोध और तजुर्बे पर आधारित निष्कर्ष कि पहले छ: महीने में मां का दूध ही बच्चे के लिये सम्पूर्ण और पर्याप्त आहार है, जिसका अर्थ है कि उसको इसके अलावा अलग से कुछ भी खिलाने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य सभा में इक्वाडोर राज्य ने प्रस्ताव रखने की कोशिश की तो अमेरिका ने अमेरिकी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिये इक्वाडोर व अन्य छोटे देशों को धमकाकर यह प्रस्ताव पेश करने से रोक दिया, जिसका 'कंपनियों के मुनाफ़े के आगे बच्चों के स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं अमेरिका को' में पर्दाफ़ाश किया गया है। गौरतलब है कि दादी मां अपने तजुर्बे के आधार पर नवजात शिशु को पहले छ: महीने तक मां का ही दूध पिलाने पर जोर देती हैं, परंतु आधुनिक महिलायें विदेशी कंपनियों के प्रचार से भ्रमित होकर तथा अपने तथाकथित शारीरिक सौंदर्य को बनाये रखने के नाम पर शिशुओं को अपने दूध की जगह डिब्बा बंद कृत्रिम दूध पिलाती हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

'हवा-हवाई कॉलेज चलाना चाहती है सरकार' में खट्टर सरकार द्वारा बिना भवन व प्राध्यापकों की उपलब्धता तथा बिना बजट के 31 महिला कॉलेज खोलने की घोषणा व छात्राओं द्वारा कॉलेज में दाखिला न लेने के बारे में सरकार की खोखली शिक्षा नीति का विवेचन किया गया है। परंतु इन नये महिला कॉलेजों में दाखिले के लिये छात्राओं द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है। बल्लभगढ में करीब 50 प्रतिशत सीटें खाली हैं, जबकि नचौली में केवल 26 लड़कियों ने दाखिला लिया है और मोहना में करीब 100 सीटें भरी गईं हैं। गौरतलब है कि हरियाणा के अधिकांश राजकीय महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्य नहीं हैं, उनकी जगह कार्यवाहक प्राचार्य ही काम कर रहे हैं।

केंद्र व भाजपा शासित राज्यों में मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों तथा न्यायपालिका, पुलिस और अन्य संवैधानिक संस्थानों में पदों पर नियुक्त के लिये आरएसएस की सहमति अत्यंत आवश्यक है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में विकास तथा सबका साथ का नाम जपते रहते हैं। मोदी व आरएसएस के बीच पूरा प्रशासनिक तालमेल है, जिसका 'मोदी राज में आरएसएस का प्रशासनिक जलवा-हर कहीं हर तरफ़!' में सटीक विश्लेषण किया गया है। आरएसएस ने बिना किसी उत्तरदायित्व के शासन व प्रशासन पर अपना शिकंजा कस रखा है। निर्विवाद रूप से सत्य है कि आरएसएस व मोदी सरकार के बीच संतुलनकारी समीकरण, भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के परस्पर संतुलन के लिये बेहद खतरनाक है।

'61 लाशें, मगर कहानी सबकी एक जैसी में' उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान हुई फ़र्जी मुठभेड़ों के संबंध में पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मुठभेड़ हत्याओं व योगी सरकार की लिप्तता की पूरी पोल-पट्टी खोली गई है। एक अन्य मानवाधिकार संगठन रिहाई मंच ने अपनी जांच पड़ताल में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ क्षेत्र में भी फ़र्जी पुलिस मुठभेड़ को उज़ागर किया है।

संघ परिवार हिन्दुत्ववादियों ने उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के अन्तर्गत रायकाशीपुर गांव में दलित ईसाइयों की प्रार्थना सभा पर धर्मांतरण के नाम पर हथियारों से लैस होकर हमला किया और पीड़ितों द्वारा सूचना देने के बावजूद पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर नहीं पहुंचा, जिसका 'भगवा तालिबानियों ने धर्मांतरण के नाम पर दलितों को दौड़ा-दौड़ा कर मारा' में सांगो-पांग वर्णन किया गया है। स्पष्ट है कि पुलिस व सरकार की मिलीभगत से इस घटना को अंजाम दिया गया। धर्मांतरण, गौ-रक्षा, दलितों द्वारा उच्च जाति की श्रेष्ठता को चुनौती देने के नाम पर भीड़ द्वारा लोग़ों की हत्या करने पर रोक लगाने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता, लोकतंत्र में भीड़तंत्र बर्दाश्त नहीं और संसद से नया कानून बनाने को कहा।

मुकेश अंबानी के जियो इंस्टीट्यूट के बनने से पहले ही मोदी सरकार द्वारा उसे बेहतर शिक्षण संस्थाओं में शामिल करने की घोषणा पर 'मोदी सरकार मुकेश अम्बानी के जेब में, मोदी द्वारा मीडिया में मोदी के खिलाफ़ खबरें न दिखाये जाने के लिये दबाव देने पर 'अब हमारे खिलाफ़ ख़बरें मत दिखाना-जैसा आप कहें', तथा मोदी सरकार की छत्रछाया में आर्थिक मंदी के बावजूद बाबा रामदेव की सम्पत्ति 300 करोड़ से बढ़कर 33000 करोड़ कैसे हो गया इतनी भयानक मंदी में?' कार्टूनों द्वारा सरकार की नीतियों पर यथोचित कटाक्ष किया गया है।

विश्वविद्यालयों पर कार्यकारी परिषद् द्वारा स्वीकृत सहमति ज्ञापन (MOU) का दबाव

फीस बढ़ोतरी का रास्ता खोलने के लिए आखिरी हमला, राज्य पोषित उच्च शिक्षा के कफन में अंतिम कील

रवींद्र गोयल की विशेष रिपोर्ट

ताजा खबर है की HRD मंत्रालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय समेत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक बार फिर फरमान जारी किया है की यदि भविष्य में मंत्रालय से आर्थिक मदद लेनी है तो अपने अपने विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित सहमति ज्ञापन (MOU) एक सप्ताह के भीतर भेजें। कथित रूप से इस ज्ञापन का उद्देश्य मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयों को पैसा देने के लिए आधार तैयार करना है। इस ज्ञापन में विश्वविद्यालयों द्वारा यह बताया जाना है की वो भविष्य में शुल्क वृद्धि आदि के जरिये कैसे धन इकठ्ठा करेंगी और उच्च शिक्षा निधि एजेंसी (HEFA) से विश्वविद्यालय में विकास के लिए कितना उधार लेना चाहती हैं।

सरकार द्वारा उच्च शिक्षा निधि एजेंसी (HEFA) बनाने का इरादा 2016-17 के बजट भाषण में किया गया था, जिसमें कहा गया था, "हमने 1,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक पूंजी आधार के साथ उच्च शिक्षा निधि एजेंसी (HEFA) स्थापित करने का निर्णय लिया है। HEFA एक गैर-लाभकारी संगठन होगा जो बाजार से धन उघायेगा और अन्य दान और सीएसआर फंड के साथ उसे और पोषित करेगा। इन राशि का उपयोग देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा और संस्थानों के आंतरिक संसाधनों के माध्यम से उस धन को वापस किया जायेगा।"

ज्ञात हो की वर्तमान फरमान से पहले भी इसी आशय का एक पत्र HRD मंत्रालय ने इसी साल एक जून को भी विश्वविद्यालयों को भेजा था। कुछ विश्वविद्यालयों ने सहमती ज्ञापन (MOU) भी भेज दिए थे। जानकार सूत्रों का कहना है की DU ने अभी कोई ज्ञापन नहीं भेजा है। पर मंत्रालय ने वो ज्ञापन, ताजा फरमान के साथ, विश्वविद्यालयों को इसलिए वापस भेज दिये हैं क्योंकि वो कार्यकारी परिषद् द्वारा स्वीकृत नहीं थे। कार्यकारी परिषद् की स्वीकृति विश्वविद्यालय के वायदों को शायद ज्यादा पुख्ता बनाती है।

इस फरमान में यह भी कहा गया है की उच्च शिक्षा निधि एजेंसी (HEE) से विश्वविद्यालय को मिलने वाला उधार इस पर भी निर्भर करेगा की उपरोक्त सहमति ज्ञापन में बताये गए धन जुटाने के कदमों में विश्वविद्यालय की प्रगति कैसी है। फरमान यह भी निर्देश देता है की यदि कार्यकारी परिषद् की मीटिंग जल्दी बुलाना न संभव हो तो समझौता ज्ञापन को सर्कुलेशन के द्वारा पारित करवा लिया जाये। लेकिन ज्ञापन को सप्ताह भर में जरूर मंत्रालय में भेज दिया जाये।

एक बात और। अभी तो यह लग सकता है की ये सहमति ज्ञापन उच्च शिक्षा निधि एजेंसी (HEFA) से विश्वविद्यालय के विकास के लिए गए उधार की वापसी सुनिश्चित करने के लिए लिया जा रहा है। कई ज्ञानी जनों को, खासकर उनको जिन्हें ये लगता है की सरकार उच्च शिक्षा का खर्चा क्यों उठाये, को इस में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लग सकता है। बेशक उन साथियों की सोच पर बहस हो सकती है। एक मजबूत वैकल्पिक सोच यह भी है कि उच्च शिक्षा का सभी खर्चा राज्य को उठाना चाहिए। शिक्षित युवक युवती सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं और उसे आगे बढ़ाना राज्य की जिम्मेवारी है। पर इस बहस को छोड़ भी दिया जाये तो यह मानने का कोई आधार नहीं है की फीस बढ़ोत्तरी को यदि एक बार स्वीकार कर लिया गया तो वो बढ़ोत्तरी उच्च शिक्षा निधि एजेंसी (HEFA) से विश्वविद्यालय के विकास के लिए गए उधार की वापसी के बाद रोक दी जाएगी। समझने की बात यह है की यह तो फीस बढ़ोत्तरी की स्वीकार्यता को बढाने का छलावा मात्र है। और सभी समाज हितैषी शक्तियों को इस कदम के निहितार्थ को समझना चाहिए। यह और कुछ नहीं राज्य पोषित उच्च शिक्षा के कफन में अंतिम कील साबित होगा।

इस सम्बन्ध में दोस्तों को याद होगा की दो या तीन साल पहले शिक्षक साथियों में से कुछ साथी बजट दस्तावेजों का सतही अवलोकन कर के यह कह रहे थे की सरकार ने UGC का बजट कम कर दिया है। पर वास्तव में उस समय सरकार ने कॉलेज और विश्वद्यालयों को दी जाने वाली सहायता UGC के बजट से अलग कर एक नए शीर्षक के तहत दिखाना शुरू कर दिया था। उस समय तो इस परिवर्तन का महत्व नहीं समझ आया था और इसे मात्र तकनीकी फेर बदल के रूप में समझाया जा रहा था। पर अब उद्देश्य साफ हो गया। पहले शिक्षा मंत्रालय ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अलग से पैसा देना शुरू किया और अब सहमती ज्ञापन का पेच लगाया जा रहा है ताकि सरकारी वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में फीस बढ़ोतरी का रास्ता साफ किया जा सके।

दुखद है कि यह सेवाल न तो शिक्षक आन्दोलन और न छात्र आन्दोलन के लिए महत्वपूर्ण सवाल है।

भास्कर समूह की घुटन ने ली सम्पादक कल्पेश याग्निक की जान

दैनिकर भास्कर के समूह सम्पादक कल्पेश याग्निक ने 12 जुलाई 2018 की रात इन्दौर स्थित भास्कर कार्यालय की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। ये 55 साल के थे और 20 वर्षों से भास्कर में कार्यरत थे। समूह सम्पादक के तौर पर भास्कर को पूरे देश में आगे बढाने और स्थापित करने में उनका अहम योगदान रहा। एक लेखक और विचारक के तौर पर भी उन्हें खासी लोकप्रियता हासिल थी।

दैनिक भास्कर में प्रत्येक शनिवार को आने वाला उनका 'कॉलम' 'असम्भव के विरुद्ध' बहुत ही लोकप्रिय था। कल्पेश जी की पहचान एक ओजस्वी वक्ता के रूप में थी। कहा जाता है कि वे अपनी शर्तों पर काम करने वाले एक कड़क मिजाज सम्पादक थे, जिनका आतंक उनकी टीम पर बना रहता था। पत्रकारिता में आने के पहले वे इन्दौर में एक लोकप्रिय छात्रनेता थे। आगे चलकर वे अंग्रेजी अखबार फ्री प्रेस जर्नल जूड़े। भाष्कर से उनका जुड़ाव 1998 से अखबार के ग्रुप एडिटर का सफ़र उन्होंने बहुत ही कम समय में तय किया।

एक पत्रकार और सम्पादक के रूप में उनका कैरियर काफ़ी सफ़ल कहा जा सकता है। फ़िर सवाल यह है कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया? उल्लेखनीय है कि भास्कर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया और अस्पताल में भर्ती कराये जाने के बाद दोबारा हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके शरीर पर काफ़ी चोटें थी इसलिये उनके परिवार के लोग़ों ने शव के पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनके शरीर में गहरी चोटें थी और शरीर के अंदर काफ़ी खून बहा था। स्पष्ट हो गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है।

अगले दिन पुलिस ने भास्कर कार्यालय में जांच-पड़ताल की और यह साबित हो गया कि उन्होंने दफ़्तर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की थी। सीसी टीवी से भी इसकी पुष्टि हुई लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।

यहां यह सवाल उठता है कि भास्कर प्रबंधन ने आत्महत्या को हार्ट अटैक से हुई मौत क्यों बताया? इससे यह मामला रहस्यमय बन गया है। क्या कल्पेश याग्निक जी की आत्महत्या के लिये भास्कर प्रबन्धन और मालिकान जिम्मेदार हैं? कहा जा रहा है कि वे पिछले 10 दिनों से भास्कर के प्रबन्धन निदेशक और मालिक सुधीर अग्रवाल से मिलने का समय मांग रहे थे, पर सुधीर अग्रवाल उन्हें समय नहीं दे रहे थे। इसे क्या कहा जा सकता है कि एक ग्रुप एडिटर अपने मालिक से नहीं मिल पाता हो। सुनने में यह भी आ रहा है कि जिस रात कल्पेश याग्निक ने आत्महत्या की, उसके दूसरे दिन इन्दौर में भास्कर के देश भर के बड़े सम्पादकों की मीटिंग होने वाली थी जिसमें कोई बड़ा फ़ैसला लिया जाना था। जानने वाले यह भी बताते हैं कि पिछले कुछ समय से कल्पेश याग्निक बहुत ही मानसिक तनाव से गुजर रहे थे इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ लोगों से बातें भी की थी।

'भड़ास' वेबसाइट के अनुसार एक लड़की के साथ उनका ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा था, जिसे लेकर भी वे बहुत परेशान थे। 'भड़ास' ने जब उस ऑडियो क्लिप को जारी नहीं किया और इस सम्बन्ध में सूचना दी तो कल्पेश जी ने 'भड़ास' सम्पादक का आभार व्यक्त किया।

सुनने में आता है कि इस ऑडियो क्लिप में भास्कर से नौकरी से हटा दी गयी मुंबई की एक बॉलीवुड पत्रकार उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी और यह क्लिप भास्कर मालिकान तक पहुंच चुकी थी। कल्पेश याग्निक इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। लेकिन उनकी आत्महत्या के पीछे असली वजह क्या है, इसका खुलासा अभी भी नहीं हो सका।

पिछले कुछ समय से दैनिक भास्कर ग्रुप कई तरह के संकट में फ़ंसा दिखाई पड़ता है। गत छ: महीने के दौरान इसने बड़े पैमाने पर पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों की छटनी की है। इनकी कुछ वेबसाइटें भी बंद हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा आर्थिक घाटे की वजह से हुआ हो, यह सच नहीं लगता। भास्कर ग्रुप अभी भी बहुत मोटा पैसा कमा रहा है। इसके कई उपक्रम हैं और मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि भी ग्रुप ने खरीदी है।

बहरहाल, दैनिक भास्कर ग्रुप को अपने सबसे बड़े सम्पादक की आत्महत्या को लेकर चुप्पी तोड़नी चाहिये।

-नीलिमा झा